

डेगाना ( नागौर )

19.1.21

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्थी व आर्थी  
स्वयं कुरुपस्थित। इन्हें कावाज डिपारिगंड।  
बार-बार कावाज दिलाने पर दूबे कोई हाजिर  
नहीं हैं। किन्तु आर्थी का आर्थना-पत्र हिडम  
हाजती किडम फेली में स्वारिज किया जाना है।  
पत्रावली फेलस जुगाट होकर टारिक्ल डफर हो।  
निर्णय रूपे न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली  
गम्बर से क्रम से जावे।

सहायक कलेक्टर  
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
डेगाना ( नागौर )

